विषयः– डीआईटीएस, हिसार के द्वारा खरीद किए जाने वाले Cartridge की ई–निविदा हेतु।

नियम एवं शर्तें :–

1. ई–निविदा में हिस्सा लेने हेतु EMD राशि के तौर पर 25000/– (Refundable) तथा ई–निविदा Document Cost के तौर पर 1000/– (Non Refundable) एवं Processing Fee (Non Refundable) के तौर पर 1180/–(Non Refundable) रूपये का भुगतान ऑनलाईन माध्यम (Internet Banking/Debit Card) से किया जाना अनिवार्य है।

2- ई–निविदा सिर्फ ऑनलाईन https://etenders.hry.nic.in के माध्यम द्वारा ही लिए जायेंगे। अन्य किसी माध्यम द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं BOQ के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं।

3. **फर्म जिस कार्टरेज एवं ड्रम यूनिट के रेट (BOQ) के माध्यम से अंकित करेगी उस कार्टरेज की बिक्री हेतु फर्म का ऑथोराईज्ड डीलर का होना आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में ऑथोराईज्ड डीलर का नवीनतम प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।**

4. चयनित फर्म को सामान आर्डर देने के 07 दिन के भीतर सम्बन्धित सभी सामान की सप्लाई करना आवश्यक है। अगर फर्म निर्धारित समय में सामान सप्लाई करने में असमर्थ होती है तो सामान की कीमत का 2 प्रतिशत प्रति सप्ताह पैनल्टी जमा राशि (EMD) में से काट ली जायेगी तथा तब तक काटी जायेगी जब तक उसकी जमानत राशी पूरी जब्त नहीं हो जाती। इसके बाद चयनित फर्म की निविदा निरस्त मानी जायेगी।

5. केवल रजिस्टर्ड फर्म जिनके पास GST नम्बर हों तथा पिछले दो वित्तवर्षों (2018–19, 2019–20) में फर्म का प्रति वित्तवर्ष टर्नओवर कम से कम **50 लाख** रूपये हों वही इस ई–निविदा में हिस्सा ले सकता है। (प्रमाण संलग्न करें।)

6. यदि चयनित फर्म कोई सामान सप्लाई करने में कम्पनी स्तर की समस्या अथवा किसी अन्य कारण से अक्षम होती है तो उक्त सामान कम्पनी के सबसे कम रेट वाली दूसरी फर्म को बिना किसी अन्य औपचारिकता के आर्डर दे दिया जायेगा।

7. सामान हमारे कार्यालय/कार्यालय द्वारा निर्धारित स्थान (FOR) पर पहुंचाना होगा जिसके लिए अलग से कोई लैबर चार्ज अथवा ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं दिया जायेगा। ई–निविदा में सभी रेट सभी प्रकार के कर (GST, (Other tax if any)) तथा लेबर चार्ज सहित देना होगा।

8. अनुबंध उपायुक्त महोदय के अनुमोदन उपरान्त एक वर्ष के लिए होगा तथा सन्तोषजनक सेवाओं की स्थिति में सम्बन्धित फर्म की सहमति तथा कमेटी की सिफारिश पर उपायुक्त महोदय की अनुमति से आगामी एक वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेशों तक बढ़ाया भी जा सकता है।

9. पर्चेज कमेटी के प्रधान निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखते हैं :–

   क. किसी भी ई–निविदा अथवा सभी ई–निविदाओं को बिना किसी कारण बताये रिजेक्ट कर सकते हैं तथा सबसे कम रेट वाले के साथ अनुबंध करने हेतु भी बाध्य नहीं है। आईटम/सामान की क्वालिटी को वरियता दी जायेगी तथा उपलब्धता की भी जांच की जायेगी।

   ख. अपरिहार्य परिस्थिति में तकनीकी एवं फाईनैंशियल बिड खुलने के उपरान्त भी डीआईटीएस, हिसार खरीद करने हेतु बाध्य नहीं होगी।

   ग. भविष्य में ई–निविदा पत्र अथवा सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं।

   घ. कार्टरेज की Quality/Specifications तकनीकी टीम द्वारा जांच की जायेगी तथा सही पाये जाने पर ही कार्टरेज को स्वीकार किया जायेगा एवं बिलों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

नोट : a. सभी नियम एवं शर्तें अति आवश्यक है इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं करने की अवस्था में कमेटी द्वारा Financial bid को नहीं खोला जायेगा।

b. सभी नियम एवं शर्तें ई–निविदा भरने के समय पूरी करना आवश्यक है, शर्तें पूरी ना करने पर उसी समय ई–निविदा कैंसल कर दी जायेगी जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेवार होगी।

c. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त, हिसार का निर्णय मान्य होगा तथापि न्यायिक क्षेत्र हिसार मुख्यालय होगा।

उपरोक्तानुसार ई–निविदा आवेदन कर्ता हेतु चैकलिस्ट जो कि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अपलोड की जानी आवश्यक है:–

1. GST नम्बर की प्रति।

2. वार्षिक टर्नऑवर की प्रति (वित्तवर्ष 2018–19, 2019–20)।

3- ऑथोराईज्ड डीलर का प्रमाण–पत्र की प्रति।

नोटः उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति अन्तिम तिथि या इससे पूर्व डीआईटीएस, हिसार कार्यालय में जमा करवाई जानी आवश्यक है।